RAEBARELI POLICE

प्रेस नोट दिनांक 22 अप्रैल 2024

थाना साइबर क्राइम जनपद रायबरेली द्वारा ऑनलाइन ठगी के 98,800/- रुपये खाते में वापस कराये गये-

शिकायतकर्ता 1.एन्जल सिंह थाना हरचन्दपुर (60,000/-रुपये) 2.अंकित सिंह थाना ऊंचाहार (1,000/-रुपये) 3.प्रियांशु मौर्या थाना ऊंचाहार (3,000/-रुपये) 4.मो0 सौकत थाना कोतवाली नगर (32,800/-रुपये) 5.बब्लू थाना खीरों (2,000/-रुपये) द्वारा जनता दर्शन में पुलिस अधीक्षक रायबरेली के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी से उनके खाते से उपरोक्त धनराशि निकाल लिये गये है। पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर साइबर थाना रायबरेली को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में प्रभारी साइबर क्राइम थाना के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सम्बंधित बैंक से सम्पर्क करके तत्परतापूर्वक आवश्यक कार्यवाही करते हुये उपरोक्त शिकायतकर्ता के खाते में 98,800/- रुपये वापस कराये गये है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. साइबर प्रभारी विन्ध्य विनय साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद रायबरेली
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार अवस्थी साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद रायबरेली
3. हे0 का0 धीरेन्द्र यादव साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद रायबरेली
4. म0का0 पूजा यादव साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद रायबरेली
5. म0का- रश्मि सिंह साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद रायबरेली
6. का0 रामजग यादव साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद रायबरेली
7. का0 विक्रम सिंह साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद रायबरेली।

रायबरेली पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील की जाती है कि अपने खाते से सम्बंधित या अन्य ओ.टी.पी./ पासवर्ड आदि व्यक्तिगत/गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा लुभावने ऑफर आदि को बिना जाँचे परखे किसी लिंक या अप्लीकेशन पर भुगतान न करें, यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का तरीका हो सकता है। आप स्वयं जागरुक रहे तथा अपने आस-पास के अधिक से अधिक लोगों में यह जानकारी साझा करें जिससे किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी न हो सके।

मीडिया सेल रायबरेली